न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारीः— डॉ. राकेश कुमार शर्मा आर.ए.एस.

अपील संख्या 24/2018

1. हरचन्द पुत्र रूघाराम जाति कुम्हार निवासी चक 3 बी.एम.एम. तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
2. बिमलादेवी पत्नी भैरूराम उर्फ भैरा जाति कुम्हार निवासी चक 3 बी.एम.एम. तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर। —अपीलांट्स

बनाम

1. कालू पुत्र रूघा जाति कुम्हार निवासी चक 3 बी.एम.एम. तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ। —रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज.काश्त.अधि. 1955
विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ दिनांक 12.01.2018

उपस्थिति—
श्री सुरेन्द्र सुथार, अभिभाषक अपीलांट
श्री लेखराज देरासरी, अभिभाषक रेस्पों. सं. 1
श्री श्यामसुन्दर चाण्डक, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक— 28-6-2019

1. वादी/रेस्पों. सं. 1 ने उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ के समक्ष राज.काश्त.अधि. 53 के तहत वाद पेश किया। वादी ने अपने वाद में 3 बी.एम.एम. तहसील सूरतगढ जमाबन्दी सम्वत् 2066—2069 के खाता सं. 104 नया (121 पुराना) के प.नं. 236/62(128) के कि.नं. 9, 11, 12, 18 ता 23 की 2.277है0 कमाण्ड—अनकमाण्ड का खाता विभाजन कर वादी की 1/3 हिस्सा यानि 0.759है0 का खाता अलग कायम करने निवेदन किया है।

(A) प्रतिवादी सं. 1 जरिये वकील उपस्थित आया परन्तु अपना जबाबदावा पेश नहीं किया तथा प्रतिवादी नं. 1 के अभिभाषक द्वारा दिनांक 13.10.2007 को No Instruction कर दिया तथा प्रतिवादी नं. 2 के विरूद्ध दिनांक 04.05.2015 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

(B) उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ ने वादी की एकपक्षीय बहस सुनकर दिनांक 12.01.2018 को वाद वादी स्वीकार कर जैरवाद भूमि चक 3 बी.एम.एम.

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

तहसील सूरतगढ जमाबन्दी सम्वत् 2066–2069 के खाता सं. 104 नया (121 पुराना) के प.नं. 236/62(128) के कि.नं. 9, 11, 12, 18 ता 23 की 2.277 है0 कमाण्ड–अनकमाण्ड (1.948है0 कमाण्ड व 0.329 है0 अनकमाण्ड) में वादी के हिस्सा अनुसार भूमि का खाता विभाजन प्रतिवादीगण से करने के लिए तहसीलदार सूरतगढ से विभाजन प्रस्ताव मंगवाकर खाता विभाजन की स्वीकृति प्रदान की गई है और प्राथमिक डिक्री जारी की गई है।

(C) उक्त आदेश से व्यथीत होकर अपीलांट्स ने यह अपील पेश की है। अपील के साथ अपीलांट्स ने अपीलांट सं. 2 जोकि अधी. न्यायालय में पक्षकार नहीं था की तरफ से धारा 96 सीपीसी का प्रा.पत्र पेश किया।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

(i) विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील बहस में मुख्य रूप से अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपील मीमों ही उसकी बहस है।

(ii) विद्वान अभिभाषक रेस्पों. सं. 1 ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन आदेश अधी. न्यायालय ने विधिसम्मत पारित किया है जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। विद्वान अभिभाषक रेस्पों. ने अपनी बहस में यह भी कथन किया है कि अधी. न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश से खाता विभाजन के सम्बन्ध में तहसीलदार से प्रस्ताव मंगवाये हैं जिसमें अच्छी में से अच्छी व खराब में से खराब के आधार पर प्रस्ताव भिजवाये जाने हेतु आदेश दिया है। अतः निवेदन है कि अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जावे।

3. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

(a) अपीलांट सं. 2 ने अपील के साथ प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी मय शपथ पत्र पेश किया है। उक्त प्रा.पत्र में अंकित तथ्यों का खण्डन रेस्पों. के अधिवक्ता ने जबाब मय शपथ पत्र नहीं किया है। अतः न्यायहित अपीलांट सं. 2 का प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाता है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

(b) बहस के दौरान अपीलांट ने अपने अपील मीमों के कथनों को दोहराया व कहा कि उन्हें सूना नहीं गया है। किन्तु वे रेस्पों. के अधिवक्ता के तर्कों का खण्डन नहीं कर सके।

(c) रेस्पों. के अधिवक्ता ने स्पष्ट किया कि 4 मई 2015 को अपीलांट्स जरिये अधिवक्ता हाजिर हुए। तत्पश्चात उन्हें जबाब हेतु 30 अवसर दिये गये और न पर कोस्ट भी लगाई गई तो भी जबाब प्रस्तुत नहीं किया। अतः वे यह प्रतिवाद नहीं कर सकते की उन्हें अवसर नहीं दिये गये। तत्पश्चात दिनांक 13.10.2017 को अपीलांट के ही अधिवक्ता ने no instruction plead किया। यह भी 2 वर्ष 5 माह व्यतीत होने के पश्चात।

फलस्वरूप अपीलांट का यह कथन सारहीन पाते हैं कि उन्हें सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया या उन्हें सूचित नही किया। क्योंकि रिकार्ड व अपीलांट के आचरण से स्वतः स्पष्ट है कि वे स्वयं अपने आचरण से अपने उत्तरदायित्वों से विरत रहे।

(d) हरचंद जोकि प्रतिवादी सं. 1 था व अपील में अपीलांट है का कथन है कि उन्हें तामील नहीं की गई। जबकि अधी. न्यायालय के रिकार्ड से स्पष्ट है कि उन्हें सम्मन गया था व व उसे तामील हुआ था। प्रतिवादी सं. 2 का सम्मन परिवार के पुरूष सदस्य को तामील किया बाबजूद हाजिर नहीं आये।

लिहाजा दिनांक 04.05.2015 को अधी. न्यायालय द्वारा एक्स पार्टी के आदेश में कोई त्रुटि नहीं पाते।

(e) इस पर भी अपीलांट्स को यह विकल्प उपलब्ध था कि वे अधि. न्यायालय के समक्ष आदेश 9 नियम 13 सीपीसी के तहत अभ्यावेदन देकर कार्यवाही/मामले में उपस्थित हो सकते थे। किन्तु ऐसा नहीं कर अपील का रास्ता अखित्यार किया जो उचित नहीं है।

(f) चुंकि अपील प्राथमिक डिक्री की है। अंतिम डिक्री शेष है। अधी. न्यायालय के निर्णय को अपील मे हस्तक्षेप करने की गुंजाईश नहीं है। अपीलार्थीगणों को निर्देश दिये जाते हैं कि वे अधी. न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं।

लिहाजा अपील उक्त निर्देशों के साथ निरस्त की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 28-6-2019 को खुले न्यायालय में सुनाय गया।

(डॉ. राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर